

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

215(5)
16/01/17

संकल्प

विषय :- पथ निर्माण विभाग के अधीन महासेतु एवं सेतुओं के प्रबंधन हेतु विभागाधीन गंगापुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में पुनर्गठित कर इसका सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ अतिरिक्त 10 विशेषज्ञ अभियंताओं के रू० 79,84,848/- (उन्चासी लाख चौरासी हजार आठ सौ अड़तालिस) के वार्षिक व्यय पर पदों का सृजन के संबंध में।

राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा राजधानी पटना की यात्रा 6 घंटे में तय करने के राज्य सरकार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सड़कों के प्रभावी नेटवर्क के साथ अनेकों मेगा, वृहद् एवं लघु पुलों तथा पुलियों का निर्माण किया गया है। सड़कों एवं पुलों के कारगर नेटवर्क निर्माण से सामाजिक क्षेत्रों सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में भी व्यापक बदलाव आया है। पुलों एवं पथों के निर्माण एवं पुनरुद्धार कार्यों के तकनीक में विश्व स्तर पर अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी (Latest Technologies) को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही अच्छी सड़क एवं पुलों का लाभ लगातार प्राप्त होता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सेतु संरचना का कुशल प्रबंधन एवं सतत् प्रभावी अनुरक्षण भी आवश्यक है।

2. **वर्तमान व्यवस्था :-** पूर्व में रू० 25.00 लाख से अधिक लागत वाले पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (BRPNNL) द्वारा किया जाता था। गत वर्ष यह निर्णय लिया गया कि 60.00 मीटर से अधिक लम्बाई के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा तथा 60.00 मीटर से कम लम्बाई वाले पुलों का निर्माण जिला के संबंधित पथ प्रमंडल द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अधीन रू० 25.00 लाख से अधिक लागत वाले पुलों का निर्माण भी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा विगत वर्षों में राज्य में लगभग 11 महासेतु, 578 वृहद् सेतु, 3 फलाई ओवर एवं 1051 अन्य सेतुओं का निर्माण किया गया है एवं निर्माण जारी है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रमंडलों द्वारा भी लघु सेतु तथा पुलिया का निर्माण कराया गया है। पथ निर्माण विभाग के पथों पर अनेक पुल काफी पुराने एवं पुरानी तकनीकी के रहने के कारण नई IRC मार्गदर्शिका के आलोक में चरणबद्ध रूप से इसका मजबूतीकरण एवं पुनर्स्थापन भी आवश्यक है।

पुलों एवं फलाई ओवर के निर्माण के पश्चात् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा संबंधित क्षेत्र के पथ प्रमंडल को रख रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया जाता है। वर्तमान में पुल की मरम्मत की व्यवस्था आवश्यकता आधारित है, जिसे योजना के रूप में प्राक्कलन तैयार कर इसकी मरम्मत की जाती है। इन पुलों के व्यापक पुनरुद्धार की आवश्यकता की स्थिति में आधुनिक तकनीकी (Latest technologies) इत्यादि को अपनाने के विकल्प पर विचार करने हेतु कोई विशेषीकृत/संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप संधारण/पुनर्निर्माण हेतु ससमय उचित कार्रवाई नहीं होने से कालान्तर में अधिक व्यय भी सम्भावित रहता है। पुलों के निर्माण के पूर्व इसके निरूपण तथा संबंधित drawings, तथा निर्माण के पश्चात as built (यथा निर्मित) drawings इत्यादि का कुशल कागजीकरण (documentation) एवं प्रबंधन, पुल निर्माण के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक शोध, विकास एवं पुलों के प्रबंधन की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है।

3. **उद्देश्य एवं प्रस्तावना :-**

राज्य की बड़ी नदियों यथा गंगा नदी पर पटना में महात्मा गाँधी सेतु, भागलपुर में विक्रमशीला सेतु, कोशी नदी पर सहरसा जिला में बलुआहा घाट एवं गंडौल के बीच महासेतु, भागलपुर जिलान्तर्गत विजय घाट पर महासेतु, गंडक नदी पर पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत धनहा

से रतवल घाट पर महासेतु, सोन नदी पर अरवल जिलान्तर्गत अरवल सहार के बीच महासेतु, पटना शहर में पलाई ओवर्स इत्यादि के निर्माण के पश्चात् इनके निरूपण एवं as built drawings इत्यादि अभिलेखों का रख रखाव तथा पुलों के संधारण इत्यादि हेतु कुशल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। फलस्वरूप महासेतुओं तथा वृहद् सेतुओं के कुशल प्रबंधन हेतु एक विशेषीकृत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई है।

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन भारत सरकार द्वारा भी पुलों के प्रबंधन हेतु पृथक निदेशालय के गठन की आवश्यकता बताई गई है। अतः राज्य अवस्थित मेगा एवं वृहद् पुलों के प्रबंधन हेतु एक पृथक विशेषीकृत इकाई का गठन आवश्यक है।

विभाग के अधीन गंगापुल परियोजना उपभाग को सेतु प्रबंधन उपभाग के रूप में परिवर्तित कर इसके मानव बल एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने से राज्य के पुलों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

4. गंगापुल परियोजना उपभाग का वर्तमान स्वरूप :-

महात्मा गाँधी सेतु के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा "गंगापुल परियोजना उपभाग" का गठन किया गया था। वर्तमान में महात्मा गाँधी सेतु राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-19 का अंश है, फलस्वरूप यह पुल अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है। गंगापुल परियोजना उपभाग के अंचल एवं प्रमंडल अन्यत्र समायोजित कर दिए गए हैं एवं अवशेष कार्यरत एक उपभाग एवं एक अंचल का कार्यभार नगण्य है। गंगापुल परियोजना उपभाग तथा इसके अधीन रूपांकण सह यांत्रिक अंचल, गंगापुल परियोजना के अधीन विभिन्न कोटि के कुल 51 पदाधिकारी/कर्मियों का पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पद के विरुद्ध वेतनादि मद में अनुमानित व्यय कुल ₹० 2,88,87,377.00 (रूपये दो करोड़ अठासी लाख सतासी हजार तीन सौ सतहत्तर) मात्र है।

मुख्य अभियंता, गंगापुल परियोजना उपभाग के वेतनादि मद का व्यय माँग संख्या-41 के मुख्य शीर्ष -3054 सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष - 80 सामान्य लघु शीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष - 0001 निदेशन मतदेय, विपत्र कोड N3054800010001 तथा अधीक्षण अभियंता, रूपांकण सह यांत्रिक अंचल, गंगापुल परियोजना के स्थापना मद का व्यय माँग संख्या-41 के मुख्य शीर्ष -3054 सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष - 80 सामान्य लघुशीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष - 0002 पर्यवेक्षण मतदेय विपत्र कोड N3054800010002 के अधीन होता है।

5. प्रशासी पदवर्ग समिति को प्रस्तावित सेतु प्रबंधन उपभाग के अधीन पूर्व से स्वीकृत 51 पदों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्नलिखित 16 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया था :-

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत किए जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	अधीक्षण अभियंता	1	37,400-67,000	8700/-	
2	कार्यपालक अभियंता	3	15,600-39,100	6600/-	
3	सहायक अभियंता/ प्राक्कलन पदाधिकारी	9	9300-34,800	5400/-	
4	कनीय अभियंता	1	9300-34,800	4200/-	
5	लेखा पदाधिकारी	1	15600-39,100	5400/-	
6	अमीन	1	5200-20,200	2400/-	
कुल पद		16			

